न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 125 / 2019

श्री विजयसिंह पुत्र श्री तेजसिंह ग्राम व पोस्ट तुहिया तहसील व जिला भरतपुर ।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 05.12.2019**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट विजयसिंह पुत्र श्री तेजसिंह ग्राम व पोस्ट तुहिया तहसील व जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 09..09.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 975 दिनांक 07.11.2019 के द्वारा प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से उनके पत्र क्रमांक / 3445 दिनांक 19.11.2019 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से सूचनांऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक / 3445 दिनांक 19.11. 2019 का अवलोकन किया गया। प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग द्वारा अपने जवाव में अंकित किया है कि आवेदक को कार्यालय पत्रांक एफ.40( )सू.आ. / सहा. / 2019 / 2907 दिनांक 24.09.2019, 2968 दिनांक 11.10.2019, 3255 दिनांक 05.11.2019 से सूचना उपलब्ध कराने बावत प्रार्थी को नियमानुसार सूचना शुल्क जमा कराये जाने हेतु जरिये रजिस्टर्ड डाक सूचित किया गया था किन्तु डाकिया द्वारा डाक (लिफाफे) वापिस करते हुए अवगत कराया गया है कि अपीलान्ट के अंकित पते पर नहीं मिलने के कारण डाक वितरित नहीं की जा सकी । इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में आवेदक को उसके मोवाइल पर भी बार बार सम्पर्क किया गया किन्तु मोवाइल पहुंच से बाहर मिला ।

प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर ने अपने कथनों की ताईद में कार्यालय पत्रांक एफ.40( )सू.आ. / सहा. / 2019 / 2907 दिनांक 24.09.2019, 2968 दिनांक 11.10.2019, 3255 दिनांक 05.11.2019 की प्रति भी भिजवाई गई है। स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियमानुसार सूचना शुल्क जमा कराकर वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु अपीलान्ट को बार बार रजिस्टर्ड पत्रों से सूचित किया गया है किन्तु प्रार्थी स्वयं के द्वारा अंकित पते पर मौजूद नहीं मिला । इसके अतिरिक्त प्रार्थी का मोवाइल भी पहुंच से बाहर मिला । लोक सूचना अधिकारी द्वारा बार बार प्रयास किये गए हैं ।बाबजूद इसके प्रार्थी ने सूचना चाहने हेतु न तो कोई पत्राचार किया और न कार्यालय में आकर सम्पर्क किया। फिर भी अपीलान्ट इच्छुक हो तो नियमानुसार सूचना शुल्क जमा करा कर वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है ।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्रों की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2019.12.27 16:54:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: